

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा0अराज0/3क(2)/ 17 /पदो0/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख सलाम-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सामान्य शाखा

विषय- कला

क्र.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती रोशम रावत सोअ0	रा0पू0मा0वि0 घुडदौडी	पौड़ी	पौड़ी	27/02/1997	4,799	रा0उ0मा0वि0 अमरोड़ा	कल्जीखाल	पौड़ी

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

(रामकृष्ण उन्वियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/सेवा0अराज0/3क(2)/ 248-68 /2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर ले, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।

(क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

[Handwritten Signature]

(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।

(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एनओसी/टीओई से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्वर्थों के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

- 14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।

- 15- कार्यालय आदेश पंजिका।

(रामकृष्ण उन्नीवाल)

मण्डलीय अपर निदेशक (माउशिओ)

गढ़वाल (गढ़वाल, पी.डी.)

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा0अराज0/3क(2)/ 19

/पदो/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

विज्ञापि/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रसार-16(1) में निहित प्राविधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक/प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्लम-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सामान्य शाखा

विषय- वाणिज्य

क्र.सं.	अध्यापक का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	श्री गोपाल सिंह, स0अ0	रा0का0उ0प्र0वि0 बलुकेदार	अनस्थमुनि	रूढ़पयाग	08/10/1993	12.745	रा0इ0का0 पोखार	निलगमा	टिहरी
2	श्री पूरन चन्द स0अ0	रा0पू0मा0वि0 मेलघार	रिखणीखाल	पौड़ी	13/10/1993	20.784	रा0इ0का0 थल्दा	जमहराखाल	पौड़ी
3	श्री राजेन्द्र सिंह स0अ0	रा0जू0हा0स्कूल नागाव (कैलसू)	भटवाडी	उत्तरकाशी	06/02/1995	23.611	रा0इ0का0 जोशियाडा	भटवाडी	उत्तरकाशी

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(रामकृष्ण उन्नीवाल)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/सेवा0अराज0/3क(2)/ 290-310 /2015-16 दिनांक उक्तवत

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- 10- सम्बन्धित करिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।

[Handwritten signature]

(क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।


(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हो।

(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी दाय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15- कार्यालय आदेश पत्रिका।


(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पीडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा0अराज0/3क(2)/ 21

/पदो/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 नती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्लॉम्-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

महिला शाखा

विषय- अंग्रेजी

क्र० सं०	अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y लेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	श्रीमती देवेश्वरी बिष्ट प्र०अ०	रा०प्रा०वि० पपडियाणा	दशली	धमाली	23/07/1992	4.362	रा०क०उ०मा०वि० घाट	घाट	धमाली
2	श्रीमती मुन्नी रावत प्र०अ०	रा०प्रा०वि० माठा	कर्णप्रयाग	धमाली	24/07/1992	19.007	रा०क०इ०का० कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	धमाली
3	श्रीमती विमला फरस्योण प्र०अ०	रा०प्रा०वि० बाजबगड	घाट	धमाली	01/09/1993	22.845	रा०क०इ०का० गोपेश्वर	दशली	धमाली

20/4/15

(रामकृष्ण जैनवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू०स०/सेवा0अराज0/3क(2)/ 332-52 /2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश दिनांक की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध कराये।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।

(क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।


(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4800) में कार्यरत हों।

(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्वर्थों के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका/ प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशासनिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15- कार्यालय आदेश संज्ञिका।


(समकक्ष उपाध्यक्ष)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा0अराज0/3क(2)/

/पदो/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

20

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्ताव-16(1) में निहित प्रावधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्लम्-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सामान्य शायदा

विषय- अंग्रेजी

क्र.सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का युगांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री सुमन सिंह कण्डारी प्रोअ0	सी.आर.सी.कवीली	कीर्तिनगर	टिहरी	25/10/1989	24.758	रा0इ0का0 मालधार	कीर्तिनगर	टिहरी
2	श्रीमती सुनीता पुरोहित स0अ0	रा0का0उ0प्रा0वि0 कुण्ड	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	01/11/1989	7.762	रा0इ0का0 वसुकेदार	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग
3	सुनील कुमार स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 डेण्डुल	हरौखाल	पौड़ी	17/01/1991	26.264	रा0इ0का0 जयदेवपुर सिगडडी	दुमडडा	पौड़ी
4	श्रीमती बन्धना विजलवाण स0अ0	रा0का0उ0प्रा0वि0 पिपली	डुण्डा	उत्तरकाशी	27/02/1992	11.158	रा0इ0का0 पुजारगाव	डुण्डा	उत्तरकाशी
5	कुमुद मलासी प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 चौरखाल	पावी	पौड़ी	10/04/1992	1.444	रा0उ0मा0वि0 उरगी	पौड़ी	पौड़ी
6	श्रीमती लक्ष्मी नेगी प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 मेहलचौरी	गैरसैण	धमौली	01/08/1992	2.011	रा0उ0मा0वि0 मेखौली	गैरसैण	धमौली
7	श्रीमती शशि थपलियाल स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 जखेड ढांगर	कीर्तिनगर	टिहरी	03/08/1992	19.949	रा0उ0मा0वि0 खन्तुखाल	कोट	पौड़ी
8	श्रीमती विमला राणा प्र0अ0	सकुल सन्0 काण्डा	जखौली	रूद्रप्रयाग	15/09/1992	17.299	रा0उ0मा0वि0 डगी भरदार	जखौली	रूद्रप्रयाग
9	श्री बचन सिंह गुसाई प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 कामर	नटपाडी	उत्तरकाशी	09/02/1993	19.803	रा0इ0का0 फोल्ड	डुण्डा	उत्तरकाशी
10	श्री तेजराम मन्गाई समन्वयक	सी0आर0सी0 धौकी	कीर्तिनगर	टिहरी	15/02/1993	24.932	रा0इ0का0 श्रीनगर	खिसू	पौड़ी
11	बन्धना कोटियाल स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 उधु सीड	धौलधार	टिहरी	18/02/1993	1.463	रा0इ0का0 काफलपानी	धौलधार	टिहरी
12	राजेश्वरी बिल्लवाण प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 महेडा	धौलधार	टिहरी	18/02/1993	14.148	रा0इ0का0 टांगधार	सन्ना	टिहरी
13	मनीषा जोशी प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 छानी	पावी	पौड़ी	23/02/1993	0.803	रा0इ0का0 साकरसैण	पावी	पौड़ी
14	शिव प्रसाद खन्तवाल स0अ0	बी0आर0सी कल्जीखाल	कल्जीखाल	पौड़ी	25/02/1993	15.825	रा0इ0का0 हरियावाला	सहसपुर	देहरादून
15	आशा फिल्लियाल प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 लोणख्या	कोट	पौड़ी	10/10/1993	31.299	रा0उ0मा0वि0 मडकोट	डोईवाला	देहरादून
16	श्री राजेन्द्र प्रसाद डोमाल प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 सोमली सिरौला	कीर्तिनगर	टिहरी	17/10/1993	26.201	रा0उ0मा0वि0 लक्ष्मौली	देवप्रयाग	टिहरी

17	श्री बलबीर सिंह राणा सं0अ0	रा0जू0हा0स्कूल भंगेली	भटवाडी	उत्तरकाशी	28/02/1995	28.244	रा0इ0का0 कया एटहाली	दुण्डा	उत्तरकाशी
18	श्री ब्रह्मानन्द वैन्गुली सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 भटवाडी धनारी	दुण्डा	उत्तरकाशी	28/02/1995	11.466	रा0उ0मा0वि0 भकडा	दुण्डा	उत्तरकाशी
19	श्री कमलेश्वर प्रसाद मिश्रा सं0अ0	रा0प्रा0वि0 भंगेली	भटवाडी	उत्तरकाशी	28/02/1995	31.262	रा0इ0का0 दुण्डा	दुण्डा	उत्तरकाशी
20	प्रताप सिंह रावत सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 गड खाटल	नीगाव	उत्तरकाशी	28/02/1995	14.033	रा0इ0का0 बनीगाव	नीगाव	उत्तरकाशी
21	ममता डोभाल सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 सेन्दूल	जीनपुर	टिहरी	01/03/1995	19.992	रा0उ0मा0वि0 मटोली	जीनपुर	टिहरी
22	दयाल सिंह नेगी सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 देवजानी	मोरी	उत्तरकाशी	03/03/1995	32.364	रा0इ0का0 मुरिटकसीड	भटवाडी	उत्तरकाशी
23	श्री मोहन लाल सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कयागडडी	विन्वालीसीड	उत्तरकाशी	03/03/1995	29.992	रा0इ0का0 खदरी खडकभाक	डाईयाला	देहरादून
24	श्री आनन्द शरण जोशी सं0अ0	रा0जू0हा0स्कूल पिलग	भटवाडी	उत्तरकाशी	04/03/1995	27.951	रा0इ0का0 भटवाडी	भटवाडी	उत्तरकाशी
25	श्री रमेश प्रसाद सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 तिहार	भटवाडी	उत्तरकाशी	06/03/1995	37.496	रा0इ0का0 मनरी	भटवाडी	उत्तरकाशी
26	सुनील सिंह सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 खन्यासणी	मोरी	उत्तरकाशी	06/03/1995	32.156	रा0इ0का0 उत्तरकाशी	भटवाडी	उत्तरकाशी
27	श्री सुरेन्द्र सिंह सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 सरतली	जीनपुर	टिहरी	06/03/1995	24.312	रा0इ0का0 दुवाधार	नरेन्द्रनगर	टिहरी
28	श्री बाणी विलास सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 बनकोट	विन्वालीसीड	उत्तरकाशी	07/03/1995	17.518	रा0इ0का0 गंयला	दुण्डा	उत्तरकाशी
29	कुर्वर सिंह काटवाल सं0अ0	रा0उ0मा0वि0 जालतल्ला	उखीमठ	रूढ़प्रयाग	08/03/1995	23.422	रा0इ0का0 खुमेरा	उखीमठ	रूढ़प्रयाग
30	हरि सिंह धंवार सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 रायगडी	जोशीमठ	घमोली	14/03/1995	28.538	रा0इ0का0 जोशीमठ	जोशीमठ	घमोली
31	श्री राजे सिंह विष्ट सं0अ0	सी0आ0सी0 फरकन्डे	गैरसंग	घमोली	20/03/1995	15.853	रा0उ0मा0वि0 पजियागाडवाल	गैरसंग	घमोली
32	श्री दरवान सिंह रावत सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 गाडी	दशोली	घमोली	24/03/1995	6.979	रा0इ0का0 घाट	घाट	घमोली
33	मदन सिंह बन्वाल सं0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 दौण्डा	जखोली	रूढ़प्रयाग	24/03/1995	29.897	रा0उ0मा0वि0 देवर	उखीमठ	रूढ़प्रयाग
34	सुनीता कर्पटियाल सं0अ0	रा.प्रा.वि0 रिग्ल्टा मल्ला	नैनीडाडा	पौडी	16/03/1992	4.177	रा0उ0मा0वि0 नन्दखाल	कलजोखाल	पौडी

25

25
 (रामकृष्ण उनियाल)
 मण्डलीय अपर निदेशक (मा0वि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौडी

पृ0सं0 / सेवा0अराज0 / 3क(2) / 311-31 / 2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौडी।

- 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करावें।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।
 - (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
 - (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गड़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
 - (ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
 - (घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 15- कार्यालय आदेश पंजिका।

(रामकृष्ण जनिवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गड़वाल मण्डल, पीछी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा0अराज0/3क(2)/ 26 /पदो/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

विज्ञापि/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 बर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के समुच्च स्तम्भ-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तरा को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

महिला शाखा

विषय- हिन्दी

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	श्रीमती ममता जोशी स0अ0 (विधवा)	रा0क0उ0प्रा0वि0 ज्ञानसू नवीन	भटवाड़ी	उत्तरकाशी	05/12/1987	0	रा0क0उ0मा0वि0 ज्ञानसू	भटवाड़ी	उत्तरकाशी
2	श्रीमती रेखा नीटियाल (प्र0अ0)	रा0प्रा0वि0 आगर	मिलगना	टिहरी	01/12/1988	35.096	रा0क0इ0का0 ऋषिकेश	जोड़वाला	देहरादून
3	मनोरमा जदली स0अ0	रा0क0पू0मा0वि0 शीलखेतखाल	जयहरीखाल	पौड़ी	16/01/1989	23.642	रा0क0उ0मा0वि0 लालपुर	दुंगडडा	पौड़ी
4	श्रीमती नीमा डवली प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 भगोती	नारायणबगड	धमौली	07/02/1989	32.795	रा0क0इ0का0 ब्रहमपुरी	रायपुर	देहरादून
5	श्रीमती कविता मन्डारी स0अ0	रा0क0जू0हा0 स्कूल बसुगा	भटवाड़ी	उत्तरकाशी	24/10/1989	2.679	रा0क0उ0मा0वि0 मंगला	डुण्डा	उत्तरकाशी
6	श्रीमती प्रणीता नेगी प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जवरकोट	नारायणबगड	धमौली	27/10/1989	18.079	रा0क0इ0का0 नारायणबगड	नारायणबगड	धमौली

2/2

2/2/15

(रामकृष्ण उमियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0स0/सेवा0अराज0/3क(2)/ 436-56 /2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।

2/2

10- सम्बन्धित वरिष्ठ कौषाधिकारी।

11- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।

12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।

13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।

(क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हो।

(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संशोधन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करा हो।

(घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्वयर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सममुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15- कार्यालय आदेश पंजिका।

(रामकृष्ण उनियाल)

मण्डलीय अपर निर्देशक (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पीडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी
आदेश संख्या/सेवा0अराज0/3क(2)/ 25 /पदो/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015
विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 नती प्रक्रिया को प्रतर-16(1) में निहित प्रावधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

विषय- हिन्दी

सामान्य शाखा

क्र.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सो0अ0	रा0जु0हा0स्कूल सालग	भटवाड़ी	उत्तरकाशी	10/11/1981	46.212	रा0इ0का0 बडेब	डुण्डा	उत्तरकाशी
2	श्री वीरन्द्र प्रसाद डंगवाल प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जाख ग्यारहगांव	मिलगना	टिहरी	15/12/1983	29.264	रा0इ0का0 आई0डी0पी0एल0 कृदिकेश	डोईवाला	देहरादून
3	श्रीमती सुनीता मण्डारी प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 चिया	भटवाड़ी	उत्तरकाशी	15/10/1984	7.784	रा0उ0मा0वि0 मानपुर	भटवाड़ी	उत्तरकाशी
4	श्री भारकर प्रसाद मेन्दोला सो0अ0	सो0आ0सो0 डारै	रिखनीखाल	पौड़ी	02/10/1985	28.927	रा0उ0मा0वि0 रुदपुर	विकासनगर	देहरादून
5	श्रीमती आशा रावत प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 नैल	बन्ना	टिहरी	16/10/1986	12.592	रा0इ0का0 नागराजाधार बमुण्ड	बन्ना	टिहरी
6	श्री कमल किशोर सो0अ0	रा0पु0मा0वि0 मटाली	जयहरीखाल	पौड़ी	15/12/1986	28.222	रा0इ0का0 कण्वघाटी	दुगडा	पौड़ी
7	श्रीमती विमला बिष्ट सो0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 डडुवा	देवप्रयाग	टिहरी	29/08/1987	13.605	रा0इ0का0 सिवालीधार	देवप्रयाग	टिहरी
8	श्रीमती सर्वेश्वरी बैरवाल सो0अ0	रा0क0जु0हा0स्कूल बसुंगा	भटवाड़ी	उत्तरकाशी	29/09/1987	9.118	रा0इ0का0 होरावाला	विकासनगर	देहरादून
9	श्रीमती इन्द्रा रमोला सो0अ0	रा0क0जु0हा0स्कूल बसुंगा	भटवाड़ी	उत्तरकाशी	29/09/1987	0.636	रा0उ0मा0वि0 भकडा	डुण्डा	उत्तरकाशी
10	श्री जगमोहन सिंह राणा प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 मल्ला	भटवाड़ी	उत्तरकाशी	29/09/1987	34.048	रा0उ0मा0वि0 उत्तरी	भटवाड़ी	उत्तरकाशी
11	श्रीमती राधिका डंगवाल सो0अ0	रा0क0उ0प्रा0वि0 सेकु	भटवाड़ी	उत्तरकाशी	29/09/1987	20.725	रा0इ0का0 मगौरी	भटवाड़ी	उत्तरकाशी
12	श्रीमती पार्वती डंगवाल सो0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 भमोरीखाल	धौलधार	टिहरी	05/10/1987	32.751	रा0इ0का0 टांगधार	बन्ना	टिहरी
13	श्रीमती आशालता चौहान सो0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 चयालखेत	बन्ना	टिहरी	29/10/1987	0	रा0इ0का0 काफलपानी	धौलधार	टिहरी
14	श्रीमती सुलोचना अस्वाल (प्र0अ0)	रा0प्रा0वि0 मण्डाकी	धौलधार	टिहरी	30/10/1987	2.967	रा0उ0मा0वि0 घोन	धौलधार	टिहरी
15	श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान (स0अ0)	रा0उ0प्रा0वि0 डरौंगी	धौलधार	टिहरी	30/10/1987	18.986	रा0इ0का0 डुवाधार	नरन्दनगर	टिहरी
16	श्री गोपाल सिंह राणा, सो0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 प्रतालीधार	अगरस्थमुनि	रुद्रप्रयाग	30/10/1987	12.304	रा0इ0का0 विमाणा दानकोट	जखौली	रुद्रप्रयाग
17	श्रीमती विमला मैथुज, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 नौली	कल्जीखाल	पौड़ी	30/11/1987	18.063	रा0इ0का0 कण्डारा	पौड़ी	पौड़ी
18	श्रीमती बेलवाल प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 घटदगाड	यमकेश्वर	पौड़ी	30/11/1987	17.329	रा0इ0का0 मसूरी घमानन्द	सहसपुर	देहरादून
19	श्री वासवानन्द धरमना सो0अ0	रा0पु0मा0वि0 भण्डेली	धौलधार	पौड़ी	01/12/1987	23.819	रा0उ0मा0वि0 जेदारवाला	विकासनगर	देहरादून

6/ 2/ 2/


20	बिमला नारदाज प्र०अ०	रा०प्रा०वि० कोटी	चम्बा	टिहरी	15/09/1988	23.868	रा०इ०का० हरियावाला	सहसपुर	देहरादून
21	श्री परशुराम सकलानी रा०अ०	सो०आर०सो० मयाली	जखौली	रूद्रप्रयाग	01/12/1988	11.504	रा०इ०का० बुढ़ना लस्या	जखौली	रूद्रप्रयाग
22	श्री रघुवीर सिंह राणा प्र०अ०	रा०प्रा०वि० बच्चाड	जखौली	रूद्रप्रयाग	01/12/1988	36.149	रा०उ०मा०वि० खन्दूखाल	कोट	पीडी
23	श्री दिगम्बर प्रसाद (प्र०अ०)	रा०प्रा०वि० कोटी फेगुल	भिलगना	टिहरी	01/12/1988	31.475	रा०उ०मा०वि० थालकाधार	जाखणीधार	टिहरी
24	श्रीमती भावना बहुगुणा प्र०अ०	रा०प्रा०वि० घकवाली	खिसू	पीडी	13/12/1988	9.721	रा०उ०मा०वि० कण्डीबट	कोट	पीडी
25	श्रीमती दर्शनी रावत प्र०अ०	रा०प्रा०वि० सुनाली	पुरौला	उत्तरकाशी	14/12/1988	6.315	रा०इ०का० हुडौली	पुरौला	उत्तरकाशी
26	शोभा रावत रा०अ०	रा०प्रा०वि० ननकोट	पीडी	पीडी	11/01/1989	7.853	रा०इ०का० कल्जीखाल	कल्जीखाल	पीडी
27	श्री मेहरवान सिंह रीथाण रा०अ०	रा०उ०प्रा०वि० शवितखाल	यमकेश्वर	पीडी	20/01/1989	18.37	रा०उ०मा०वि० सीला	यमकेश्वर	पीडी
28	श्रीमती विजया किमोटी रा०अ०	रा०क०उ०प्रा०वि० दुगाधार	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	08/02/1989	0	रा०उ०मा०वि० खडपतिया	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग
29	आशावती बहुगुणा रा०अ०	रा०क०पू०मा०वि० सबधरखाल	कोट	पीडी	23/02/1989	0.471	रा०इ०का० पुरियाडाग	कल्जीखाल	पीडी
30	श्री दयाल सिंह रा०अ०	रा०उ०प्रा०वि० डींगी गुनाऊँ	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	21/10/1989	6.597	रा०इ०का० मणिपुर	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग
31	श्री भगत राम बिजल्याण (रा०अ०)	रा०उ०प्रा०वि० केमरियासोड	भिलगना	टिहरी	21/10/1989	27.449	रा०उ०मा०वि० राजीवधाम	नरेन्द्रनगर	टिहरी
32	श्री गिरिजा शंकर भट्ट (रा०अ०)	रा०उ०प्रा०वि० तलेवन	भिलगना	टिहरी	23/10/1989	21.448	रा०उ०मा०वि० तलेवन	भिलगना	टिहरी
33	श्रीमती दुलारी घिलियवाल प्र०अ०	रा०प्रा०वि० बगसारी	डुण्डा	उत्तरकाशी	23/10/1989	5.273	रा०इ०का० गडवरसाली	डुण्डा	उत्तरकाशी
34	श्रीमती सुनीता सकलानी प्र०अ०	रा०प्रा०वि० भटकरडा	जाखणीधार	टिहरी	24/10/1989	0	रा०उ०मा०वि० चौपा	नरेन्द्रनगर	टिहरी
35	श्रीमती विजयलक्ष्मी घिलियवाल प्र०अ०	रा०प्रा०वि० फेगुल	चम्बा	टिहरी	24/10/1989	25.308	रा०इ०का० धानो	रायपुर	देहरादून
36	श्रीमती विमला राणा रा०अ०	रा०क०उ०प्रा०वि० मुखवा	भटवाडी	उत्तरकाशी	24/10/1989	15.538	रा०इ०का० मनेरी	भटवाडी	उत्तरकाशी
37	श्रीमती यशोदा डोनाल (रा०अ०)	रा०उ०प्रा०वि० चापडा (नगुण)	धील्धार	टिहरी	25/10/1989	0	रा०उ०मा०वि० डाबरखाल	नरेन्द्रनगर	टिहरी
38	श्री जयहरि प्रसाद (रा०अ०)	रा०उ०प्रा०वि० देवलेखर	भिलगना	टिहरी	26/10/1989	32.599	रा०उ०मा०वि० कुमालडा	जीनपुर	टिहरी
39	श्रीमती सुस्मिती गौला प्र०अ०	रा०प्रा०वि० सल्या	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग	26/10/1989	2.153	रा०इ०का० नागजगई	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग
40	श्रीमती मन्जू सेगवाल प्र०अ०	रा०प्रा०वि० कुण्ड	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	26/10/1989	7.132	रा०इ०का० बसुकेदार	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग
41	श्रीमती सरोजनी काला प्र०अ०	रा०प्रा०वि० सलियाणा	गैरसेण	चमोली	26/10/1989	10.841	रा०इ०का० महलघौरी	गैरसेण	चमोली
42	श्री गोपाल सिंह गुसाई रा०अ०	रा०उ०प्रा०वि० काखडा	धराली	चमोली	27/10/1989	24.564	रा०इ०का० ललवाडी	धराली	चमोली
43	श्रीमती सरला राणा प्र०अ०	रा०प्रा०वि० जलई	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	27/10/1989	3.781	रा०उ०मा०वि० देवर	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग
44	श्रीमती साकम्बरी पारस्याण प्र०अ०	रा०प्रा०वि० ब्यारा	दशौली	चमोली	27/10/1989	13.921	रा०इ०का० साबरीसेण	दशौली	चमोली

45

(रामकृष्ण उन्मियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा०वि०)
गण्डवाल मण्डल, पीडी

पु0सं0/सेवा0अराज0/3क(2)/ 415-35/2015-16 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पीडी।
- 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध कराये।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11- विलत अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार नली-मांति परीक्षण/सत्यापन कर ले, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।
 - (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
 - (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लो हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
 - (ग)- शासनादेश/निधमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
 - (घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्वर्थों के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 15- कार्यालय आदेश पंजिका।


(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पीडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी
आदेश संख्या/सेवा0अराज0/3क(2)/ 23 /पदो/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 मती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

महिला शाखा

विषय-सामान्य

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	श्रीमती शान्ती बगारी प्र0अ0 (विधवा)	रा0मा0दि0 न0क्षी0न0 06	पौड़ी	पौड़ी	12/01/1989	.0	रा0क0इ0का0 लखीबाग	रायपुर	देहरादून

Lale

Laleem
(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी


पू0सं0/सेवा0अराज0/3क(2)/ 373-93 /2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश दिमाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करावें।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।
(क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हो।
(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

- 14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 15- कार्यालय आदेश पंजीक।


(रामकृष्ण उन्नीवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
मुख्यालय, मुंबई, पोडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या / सेवा0अराज0 / 3क(2) / 24 / पदो0 / 2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

विज्ञापि/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सामान्य शाखा

विषय- गणित

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम / पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	श्री दिशम गाँवियाल स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 मठियाली	नरन्दनगर	टिहरी	04/03/1995	23.288	रा0उ0मा0वि0 बडीर	नरन्दनगर	टिहरी
2	श्रीमती प्रसाद डोंगरियाल स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 डबरद	रिखणीखाल	पौड़ी	16/12/1997	28.571	रा0उ0मा0वि0 हनुमन्ती	बुगड़डा	पौड़ी
3	श्रीमती सिखा डामाल स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 बाढी	कालसी	देहरादून	19/05/1998	21.37	रा0उ0मा0वि0 डाडापुर	विकासनगर	देहरादून
4	श्रीमती रेखा कण्डेरी स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 माख बारी	घाट	बमौली	17/08/1998	12.271	रा0इ0का0 सरमौला	पोखरी	बमौली
5	श्री अरविन्द सिंह स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 स्यालगा	नीगाव	उत्तरकाशी	01/08/2002	11.486	रा0उ0मा0वि0 स्यानाबट्टी	नीगाव	उत्तरकाशी
6	श्री आलोक शाह स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 डुमक	जोशीमठ	बमौली	06/04/2003	23.742	रा0उ0मा0वि0 पैनी	जोशीमठ	बमौली
7	श्री रमेश सिंह आय स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कोठा	गैरसेण	बमौली	12/04/2003	13.175	रा0इ0का0 मेहलचौरी	गैरसेण	बमौली
8	श्री अवतार सिंह स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 पिलग	भटवाडी	उत्तरकाशी	27/04/2005	19.666	रा0इ0का0 मनेरी	भटवाडी	उत्तरकाशी

24

(रामकृष्ण उनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अराज0 / 3क(2) / 394-414 / 2015-16 दिनांक उपरवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।

- 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उच्च शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।
- (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
- (ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
- (घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनको पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 15- कार्यालय आदेश पंजिका।

L. Kum
 (रामकृष्ण उनियाल)
 मण्डलीय अपर निर्देशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पीडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी
आदेश संख्या/सेवा0अराज0/3क(2)/ 18 /पदो/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्रावधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकास के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

महिला शाखा

विषय- संगीत

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम/ पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुशी वीणा गौड़, सं0अ0	श का उ मा वि मटगल	पौखडा	पौड़ी	25/02/1993	19.448	स0क0इ0का0 दुगदडा	दुगदडा	पौड़ी

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(रामकृष्ण उनीवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी


पू0सं0/सेवा0अराज0/3क(2)/ 269-89 /2015-16 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11- विलत अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।
(क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हो।
(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

[Handwritten signature]

(घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अम्बन्धी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

- 14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक /अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 15- कार्यालय आदेश पत्रिका।


(रामकृष्ण उमियाल)
मण्डलीय अधर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल, मण्डल, पीडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवाअराज0/3क(2)/ 22 / पदो/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्रावधानों के सहित राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34900, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सामान्य शाखा

विषय- सामान्य

क्र.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	श्री जगदीश प्रसाद मैन्डोली स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कुनकुली	दशोली	धर्मोली	08/09/1986	21.77	रा0इ0का0 किशनपुर	रायपुर	देहरादून
2	रेनु चिल्डियल स0अ0	रा0प्रा0वि0 घागली	जयहरीखाल	पौड़ी	21/09/1987	6.175	रा0उ0मा0वि0 बूढाखाल	जयहरीखाल	पौड़ी
3	श्री उमादत्त नोटियाल स0अ0	रा0जू0हा0स्कूल स्यावा	मटवाडी	उत्तरकाशी	29/09/1987	35.408	रा0उ0मा0वि0 उत्तरी	मटवाडी	उत्तरकाशी
4	उमयन्ती आर्य स0अ0	रा0का0उ0प्रा0वि0 बणगांव	कर्णप्रयाग	धर्मोली	30/10/1987	7.622	रा0इ0का0 आदिबडी	गौरसैण	धर्मोली
5	श्री रामकृष्ण बडोनी (सं0अ0)	रा0उ0प्रा0वि0 कोटियाडा	मिलगना	टिहरी	30/11/1988	16.208	रा0इ0का0 पडामली	मिलगना	टिहरी
6	शोभा रावल स0अ0	रा0पू0मा0वि0 ननकोट	पौड़ी	पौड़ी	11/01/1989	7.853	रा0इ0का0 उजवाडी	पौड़ी	पौड़ी
7	श्री जयन्ती प्रसाद स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 नकरीडा	डोईवाला	देहरादून	03/02/1989	3.756	रा0उ0मा0वि0 कनबुआ	बालसी	देहरादून
8	श्री प्रमोद कुमार स0अ0	रा0जू0हा0स्कूल पजैगांव	नरेंद्रनगर	टिहरी	16/07/1989	2.964	रा0इ0का0 आरियाखाल	जयहरीखाल	पौड़ी
9	श्रीमती सुरीला नेगी प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 लाल	जौनपुर	टिहरी	23/10/1989	0.786	रा0इ0का0 पुजारगांव	जौनपुर	टिहरी
10	श्री जकर अली प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 इन्द्राणी	मटवाडी	उत्तरकाशी	24/10/1989	26.305	रा0इ0का0 मटवाडी	मटवाडी	उत्तरकाशी
11	श्री विजयानन्द सेमवाल स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 गमोली	कर्णप्रयाग	धर्मोली	27/10/1989	36.54	रा0इ0का0 फाटा	उखीमठ	कर्णप्रयाग
12	श्री सुबन चन्द्र पुरोहित स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 काखड़ा	धराली	धर्मोली	01/11/1989	19.356	रा0उ0मा0वि0 मीम	नाशयणबगड	धर्मोली
13	श्री प्रमोद कुमार बन्डवाल, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 जल्सी	झारिखाल	पौड़ी	20/12/1989	37.773	रा0इ0का0 रायवाल	डोईवाला	देहरादून
14	सुनीता नेगी स0अ0	रा0का0जू0हा0 मण्डारगांव	धम्बा	टिहरी	21/02/1990	0.104	रा0उ0मा0वि0 टिहरी	धम्बा	टिहरी
15	श्री चन्द्र सिंह रावल स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 सालंग	मटवाडी	उत्तरकाशी	20/11/1990	32.786	रा0इ0का0 सालंग	मटवाडी	उत्तरकाशी
16	श्री जगदीश सिंह खरीला स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 नन्दगांव	जाखणीघार	टिहरी	03/12/1990	4.532	रा0इ0का0 उमू	धीलधार	टिहरी
17	श्रीमती बीमा राजवाल प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 नकोट	धम्बा	टिहरी	04/12/1990	23.777	रा0इ0का0 खण्डगरी	धम्बा	टिहरी
18	श्री ज्योति सिंह राणा स0अ0	रा0जू0हा0 लामरीघार	जाखणीघार	टिहरी	05/12/1990	18.603	रा0उ0मा0वि0 बडीर	नरेंद्रनगर	टिहरी

19	श्रीमती सुमुलता कठैत प्र०अ० / समन्व० सी०अरा०सी०	सी०अरा०सी० प्रांगर	घग्गा	टिहरी	06/12/1990	15.784	रा०उ०मा०वि० कुमायूठ	जौनपुर	टिहरी
20	श्री जगत सिंह रावत रा०उ०मा०वि० रा०अ०	रा०उ०मा०वि० देवीघार	कीर्तिनगर	टिहरी	06/12/1990	22.808	रा०उ०मा०वि० लक्षमाली	देवप्रयाग	टिहरी
21	श्रीमती सुनीता गुप्ता रा०अ०	रा०उ०मा०वि० बैरागणा	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग	28/12/1990	1.603	रा०उ०मा०वि० टिमर	कासरी	देहरादून
22	श्री अनिल कुमार मेवाड़ रा०अ०	रा०उ०मा०वि० देवखाल	दशाली	घग्गाली	01/01/1991	28.564	रा०उ०मा०वि० गैराली	कणप्रयाग	घग्गाली
23	कमला कुंवर रा०अ०	रा०उ०मा०वि० खुंग ल्वाणी	घाट	घग्गाली	01/01/1991	12.926	रा०उ०मा०वि० बाजबग	घाट	घग्गाली
24	श्री राजेन्द्र राम आर्य रा०अ०	रा०उ०मा०वि० तलवाड़ी खालसा	धराली	घग्गाली	02/01/1991	16.46	रा०उ०मा०वि० कुराड़	धराली	घग्गाली
25	श्री किशन सिंह बिष्ट रा०अ०	रा०उ०मा०वि० पाली	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग	05/01/1991	31.859	रा०उ०मा०वि० बद्रकोट	शेड़वाल	देहरादून
26	श्री जयदीप सिंह रावत रा०अ०	रा०उ०मा०वि० दुंगरी	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग	07/01/1991	6.797	रा०उ०मा०वि० देवर	लखीमठ	रूद्रप्रयाग
27	श्री सुनील कुमार रा०अ०	रा०उ०मा०वि० कैण्डुल	झारीखाल	पीड़ी	17/01/1991	26.264	रा०उ०मा०वि० घेनुरी	झारीखाल	पीड़ी
28	श्रीमती हेलेन्दी मट्ट रा०अ०	रा०उ०मा०वि० चंजियाला	डुण्डा	उत्तरकाशी	10/03/1992	10.651	रा०उ०मा०वि० भखड़ा	डुण्डा	उत्तरकाशी
29	श्रीमती इर्मिला बिष्ट (रा०अ०)	रा०उ०मा०वि० मंटी ग्यारहागा	मिलगना	टिहरी	10/03/1992	21.064	रा०उ०मा०वि० बंगारुधार	घग्गा	टिहरी
30	श्रीमती मंजू सती रा०अ०	रा०उ०मा०वि० जैटी	कणप्रयाग	घग्गाली	22/07/1992	10.51	रा०उ०मा०वि० रण्डगाँव	जौनपुर	टिहरी

पृ०स०/सेवा०अराज०/अक(2)/ 353-72 /2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पीड़ी।
 - 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
 - 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
 - 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
 - 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
 - 11- विलत अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
 - 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
 - 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार मूली-मांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।
- (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल, पीड़ी


(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।

(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 65 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका/ प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15- कार्यालय आदेश पत्रिका।


(रामकेश जैसवाल)
मण्डलीय आर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पीडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा0अराज0/3क(2)/ 16

/पदो/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

विषय- संस्कृत

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	श्री विरभन्वर दत्त सा0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 निकोना	पाखरी	धनौली	28/10/1977	27.447	रा0उ0मा0वि0 कुरझण	अमस्तमुनि	रूढ़प्रयाग
2	राजेश्वर प्रसाद संगवाल प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 बधारी	प्रतापनगर	टिहरी	15/10/1986	28.373	रा0इ0का0 आई0टी0पी0एल0 कदविकेश	डाईवाला	देहरादून

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(रामकृष्ण उन्मियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/सेवा0अराज0/3क(2)/ 227-47 /2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 - 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
 - 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
 - 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schoolseducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
 - 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
 - 11- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
 - 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
 - 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अमिलखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।
- (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

[Handwritten signatures]

(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।

(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हों।

(घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15- कार्यालय आदेश पंजिका।

(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल पोस्टो

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा0अराज0/3क(2)/ 27

/पदो/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्रावधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सामान्य शाखा

विषय- विज्ञान

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	V क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती विनीता चमोली स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 खकी	नरेंद्रनगर	टिहरी	25/10/1989	0	रा0उ0मा0वि0 जबरखाल	नरेंद्रनगर	टिहरी
2	श्रीमती रेखा विष्ट प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 अटाली (दोगी)	नरेंद्रनगर	टिहरी	09/02/1993	21.693	रा0इ0का0 मौर	नरेंद्रनगर	टिहरी
3	श्रीमती आशा हिमरो, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कोटी मदीला	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	06/09/1993	5.881	रा0इ0का0 चुमाडी	खिसू	पौड़ी
4	श्री शम्भू प्रसाद जोशी (स0अ0)	रा0उ0प्रा0वि0 सुन्दरिवाणा	कीर्तिनगर	टिहरी	06/03/1995	12.599	रा0इ0का0 देहलधौरी	कोट	पौड़ी
5	श्री विनोद प्रकाश (प0अ0)	रा0प्रा0वि0 चापडा	धीरकाश	टिहरी	06/03/1995	7.008	रा0उ0मा0वि0 जान्नी	विन्धालोसोड	उत्तरकाशी
6	श्री बदी प्रसाद सती स0अ0	सी0आर0सी0 हसकोटी	नारायणबगड	चमोली	07/03/1995	31.508	रा0इ0का0 माजरीगाम्प	डोईबाला	देहरादून
7	श्री कुंवर सिंह पुष्पवान स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 गडगु	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग	10/03/1995	19.973	रा0इ0का0 मनसुना	उखीमठ	रूद्रप्रयाग
8	श्री कीर्ति मणी रतूडी स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 बगसारी	हुण्डा	उत्तरकाशी	13/03/1995	13.762	रा0उ0मा0वि0 ब्याणगड	विन्धालोसोड	उत्तरकाशी
9	श्री अनुज चन्द स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 हेलग	जोशीमठ	चमोली	14/03/1995	24.992	रा0उ0मा0वि0 हेलग	जोशीमठ	चमोली
10	श्री राजेंद्र सिंह स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 त्रिशूला	पोखरी	चमोली	20/03/1995	20.425	रा0इ0का0 लगती	जोशीमठ	चमोली
11	श्री उमाकान्त रामवाल स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 मटवाडीसैण	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	21/03/1995	2.627	रा0इ0का0 स्वीलीसैम	जखौली	रूद्रप्रयाग
12	श्री महावीर सिंह स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 घनियाल	धराली	चमोली	21/03/1995	20.892	रा0इ0का0 धराली	धराली	चमोली
13	श्री सुकेश सयाना स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कमाल्डी	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	21/03/1995	15.474	रा0उ0मा0वि0 कोडारग	नरेंद्रनगर	टिहरी
14	श्री रघुवीर सिंह नगी स0अ0	सी0आर0सी0 केंद्र भीमतला	दशौली	चमोली	21/03/1995	19.111	रा0उ0मा0वि0 रामपुरकला	सहसपुर	देहरादून
15	श्री अजय सिंह स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 झिरकोटी	कर्णप्रयाग	चमोली	22/03/1995	4.968	रा0इ0का0 उडामाण्डा	पोखरी	चमोली
16	श्री गिरीश चन्द्र नयानी स0अ0	सी0आर0सी0 चोपता	नारायणबगड	चमोली	28/03/1995	22.407	रा0इ0का0 खदरीखंडकमाक	डोईबाला	देहरादून
17	श्रीमती रजनी सेमवाल स0अ0	रा0क0उ0प्रा0वि0 सलियाणा	गैरसैण	चमोली	01/04/1995	0	रा0इ0का0 मरडीसैण	गैरसैण	चमोली

18	श्री प्रेमचन्द नुन्दरियाल स०अ०	रा०पु०मा०वि० संदपा	नैनीडाडा	पीडी	17/04/1995	17.629	रा०इ०का० खिररीखाल	नैनीडाडा	पीडी
19	श्री अनिल कुमार नोटियाल स०अ०	रा०पु०मा०वि० खोलाचौरी	कोट	पीडी	17/04/1995	5.87	रा०इ०का० जामलाखाल	कोट	पीडी
20	श्री मनोज कुमार स०अ०	बी०आर०सी० विध्यापी	यमकेश्वर	पीडी	17/04/1995	18.071	रा०इ०का० बल्ली	दुगड़डा	पीडी
21	श्रीमती शोभा भण्डारी स०अ०	सी०आर०सी० नगर कोट पीडी	पीडी	पीडी	17/04/1995	6.499	रा०इ०का० उज्याडी	पीडी	पीडी
22	श्री महेंद्र प्रसाद द्विवेदी स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० पुलिपडा	दुगड़डा	पीडी	19/04/1995	24.682	रा०इ०का० कुम्भीकोट	दुगड़डा	पीडी
23	उर्मिला रावत स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० बडेप	एकेश्वर	पीडी	05/05/1995	7.352	रा०इ०का० दिउली	यमकेश्वर	पीडी
24	श्री हेमचन्द स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० काण्डईखाल	खिरू	पीडी	19/05/1995	3.321	रा०उ०मा०वि० धारखोला	खिरू	पीडी
25	श्री प्रेम सिंह नेगी स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० आगर	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	31/08/1995	19.471	रा०उ०मा०वि० कैंचीयाला	सहसपुर	देहरादून
26	श्री प्रेम सिंह खाती स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० मुलाबकोटी	जोशीमठ	चमोली	31/08/1995	9.616	रा०उ०मा०वि० पाजीटिलानी	कालसी	देहरादून
27	श्री सुरेन्द्र मोहन स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० दिवाडा	चम्पा	टिहरी	04/09/1995	24.364	रा०उ०मा०वि० देवतधार	चम्पा	टिहरी
28	श्री खेमराज उनियाल (स०अ०)	रा०उ०प्रा०वि० टिपरी	धौलधार	टिहरी	06/09/1995	23.015	रा०इ०का० किशनपुर	रायपुर	देहरादून
29	श्री प्रकाश चन्द स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० देवसारी	देवाल	चमोली	06/09/1995	19.471	रा०इ०का० नैनीसंग	कर्णप्रयाग	चमोली
30	श्री इन्द्र सिंह सजवाण स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० अखोडी	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	06/09/1995	18.593	रा०इ०का० अगस्त्यमुनि	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग
31	श्री राकेश चन्द मखुरी स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० सलूड-डुग्रा	जोशीमठ	चमोली	07/09/1995	27.468	रा०उ०मा०वि० मेठाणू	दशोली	चमोली
32	श्री राकेश चन्द सिंह स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० पिलग	दशोली	चमोली	07/09/1995	1.071	रा०इ०का० नैलसाकरी	पोखरी	चमोली
33	श्री दिवाकर प्रसाद स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० लासी	दशोली	चमोली	07/09/1995	9.425	रा०इ०का० थोटी कालीनी	कालसी	देहरादून
34	श्री बदी प्रसाद पुरोहित स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० कैलाशनगर चाका	जखोली	रुद्रप्रयाग	07/09/1995	11.667	रा०इ०का० परकण्डी	उखीमठ	रुद्रप्रयाग
35	श्री महेंद्र सिंह बिष्ट स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० कोटी (लस्या)	जखोली	रुद्रप्रयाग	08/09/1995	14.411	रा०इ०का० कण्डाली	जखोली	रुद्रप्रयाग
36	श्री मातवर सिंह स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० मसोली	पोखरी	चमोली	08/09/1995	11.947	रा०इ०का० मयकोटी	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग
37	श्री दिग्विजय सिंह स०अ०	रा०जू०हा० ग्याड कपीरी	कर्णप्रयाग	चमोली	09/09/1995	20.326	रा०इ०का० सिमली	कर्णप्रयाग	चमोली
38	श्री हरीश चन्द गैराला सकुल सम०	सी०आर०सी० कल्याणा	गैरसंग	चमोली	11/09/1995	18.434	रा०उ०मा०वि० गैराली	कर्णप्रयाग	चमोली
39	श्री देवेन्द्र प्रसाद स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० झिलोटी	पोखरी	चमोली	11/09/1995	11.125	रा०इ०का० सिदोली	कर्णप्रयाग	चमोली
40	श्री सतीश चन्द पन्त स०अ०	रा०उ०मा०वि० सोनला	कर्णप्रयाग	चमोली	12/09/1995	15.901	रा०इ०का० सिलंगी	कर्णप्रयाग	चमोली
41	श्री भगवती प्रसाद नोटियाल स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० धारकोट	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	12/09/1995	9.559	रा०उ०मा०वि० हडैतीखाल	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग
42	श्री प्रेमप्रकाश भट्ट स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० खुरड	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	12/09/1995	27.037	रा०उ०मा०वि० नहरगाव	कौतैनगर	टिहरी
43	श्री पकज कुमार जोशी स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० नेरणी	घाट	चमोली	12/09/1995	15.156	रा०इ०का० नगरासू	अगस्त्यमुनी	रुद्रप्रयाग

h *ASM* *Lep*

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी
आदेश संख्या/सेवा0अराज0/3क(2)/28 /पदो/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015

विज्ञापि/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की

महिला शाखा

विषय- विज्ञान

क्र.सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम/ पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	श्रीमती मजू जुयाल स0अ0	स0उ0प्रा0वि0 भराडसैण	अगस्त्यमुनि	रुद्रपथाम	16/02/1993	26.727	स0क0ह0का0 श्रीनगर	खिसू	पौड़ी
2	अनीता कोठारी स0अ0	स0पू0मा0वि0 चामसैण	मैनीडाडा	पौड़ी	13/05/1995	22.084	स0क0उ0मा0वि0 हराबाहा	डोईवाला	देहरादून
3	श्रीमती दीर्घाजली जुयाल स0अ0	स0उ0प्रा0वि0 रिखाड	कालसी	देहरादून	25/09/1995	19.782	स0क0उ0मा0वि0 सहसपुर	सहसपुर	देहरादून

Lee

Lee
(राजकृष्ण डोगवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0स0/सेवा0अराज0/3क(2)/478-98/2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भर्ती-भाति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।

(क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गड़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।

(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0री0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15- कार्यालय आदेश पंजिका।


(रामकृष्ण उनिवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गड़वाल मण्डल, पीडी

70	श्री शौकीन सिंह (संजो)	रा०उ०प्रा०वि० कोटियाडा	भिलगना	टिहरी	18/12/1996	20,823	रा०इ०का० रगडगाव	जौनपुर	टिहरी
71	श्री अनिल प्रसाद (संजो)	रा०उ०प्रा०वि० रैतासी	कोतैनगर	टिहरी	19/12/1996	28,867	रा०उ०मा०वि० चौरखाल	कोतैनगर	टिहरी
72	श्रीमती शान्ती गुसाई (संजो)	रा०उ०प्रा०वि० बणचीरी	नारायणबगड	बमोली	06/02/1997	12,816	रा०इ०का० कमसाल	अमस्तामुनि	रुद्रप्रयाग

(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ०सं०/सेवा०अराज०/३क(२)/ 457-77/2015-18 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11- विल अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार बली-भाति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।
(क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
(घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्वये के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 15- कार्यालय आदेश पंजिका।

(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

44	श्री होलेन्द्र सिंह सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० गरवाली	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग	13/09/1995	3.266	रा०इ०का० मंगिगुह	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग
45	श्री नारायण सिंह नेगी सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० फरकण्डे	गैरसेण	चमोली	14/09/1995	19.455	रा०इ०का० आगर चट्टी	गैरसेण	चमोली
46	श्री दिव्यपाल सिंह सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० मटियाला	गैरसेण	चमोली	14/09/1995	24.258	रा०इ०का० पोपलकोटी	दशोली	चमोली
47	विजेन्द्र प्रसाद सकलानी (सं०३३०)	रा०उ०प्रा०वि० रत्नी	धीलधार	टिहरी	26/09/1995	19.405	रा०उ०मा०वि० रूद्रपुर	विकासनगर	देहरादून
48	श्री सैलेन्द्र कुमार उनियाल (सं०३३०)	रा०उ०प्रा०वि० सेलूर	धीलधार	टिहरी	14/10/1995	18.549	रा०इ०का० बगासूधार	चम्बा	टिहरी
49	श्री कलाश प्रसाद इबराल सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० कालाबन	जौनपुर	टिहरी	16/10/1995	16.138	रा०उ०मा०वि० ममारीखाल	धीलधार	टिहरी
50	श्रीमती नैलम सिंह बागडी सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० खान्दी	जाखणीधार	टिहरी	18/10/1995	1.208	रा०इ०का० बैरगणी पाली	धीलधार	टिहरी
51	श्रीमती सुमन भण्डारी (सं०३३०)	रा०उ०प्रा०वि० बडोला	कीर्तिनगर	टिहरी	08/11/1995	1.362	रा०उ०मा०वि० कपरोली	कीर्तिनगर	टिहरी
52	श्री विजेन्द्र कुमार सकलानी संकु०सम०	सी०आ०रा०सी० काण्डाली	जखोली	रूद्रप्रयाग	09/11/1995	21.686	रा०उ०मा०वि० डाडापुर	विकासनगर	देहरादून
53	श्री बलवीर सिंह कुवर सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० रफ्तोली	गैरसेण	चमोली	10/11/1995	30.318	रा०इ०का० आदिबट्टी	गैरसेण	चमोली
54	श्री सतीन्द्र चन्द्र चौधरी संकुल सम०	सी०आ०रा०सी० मेहलचौरी	गैरसेण	चमोली	10/11/1995	16.255	रा०इ०का० गैरसेण	गैरसेण	चमोली
55	श्री रामप्रसाद पुरोहित सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० सेरा मालकोटी	पोखरी	चमोली	15/11/1995	24.789	रा०उ०मा०वि० शेरगड	डांडियाला	देहरादून
56	श्री सुधीर कुमार झोडियाल सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० तेफना	कर्णप्रयाग	चमोली	15/11/1995	18.092	रा०इ०का० काण्डई	घाट	चमोली
57	श्री कलम सिंह राणा सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० बांसी (भरदार)	जखोली	रूद्रप्रयाग	20/11/1995	25.444	रा०उ०मा०वि० जयाक	अगस्तमुनी	रूद्रप्रयाग
58	श्री देव सिंह रावत सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० हिमनी	देवाल	चमोली	20/11/1995	23.478	रा०उ०मा०वि० नलगाय	नारायणबगड	चमोली
59	श्री भाष्करानन्द सती सं०३३०	रा०क०उ०प्रा०वि० चीपता	नारायणबगड	चमोली	23/11/1995	20.877	रा०इ०का० रैस घोषला	नारायणबगड	चमोली
60	श्री पूरन सिंह फरवाण सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० पैठाणी	नारायणबगड	चमोली	01/12/1995	16.959	रा०उ०मा०वि० कुल्हाल	विकासनगर	देहरादून
61	श्री तीर्थ प्रसाद सजवाण सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० सल्या	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग	15/12/1995	19.342	रा०इ०का० गुजाकाशी	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग
62	श्री रवीन्द्र सिंह रावत सं०३३०	रा०पू०मा०वि० बछेली	एकेश्वर	पौडी	27/12/1995	17.271	रा०इ०का० मटियाली	दुमडडा	पौडी
63	श्री पृथ्वीपाल सिंह नेगी सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० खाट	जाखणीधार	टिहरी	05/01/1996	3.501	रा०उ०मा०वि० जाखवीरा	चम्बा	टिहरी
64	श्री योगेन्द्र दत्त पेटयाल (सं०३३०)	रा०उ०प्रा०वि० जाख नैलधानी	मिलगना	टिहरी	06/01/1996	19.134	रा०इ०का० भांगरखाल	चम्बा	टिहरी
65	श्री प्रमोद कुमार बडवाल सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० धमडैत	रिखणीखाल	पौडी	08/01/1996	22.419	रा०उ०मा०वि० भारतनगंज	दुमडडा	पौडी
66	श्रीमती सुसुम नेगी सं०३३०	रा०क०उ०प्रा०वि० मटोली	जौनपुर	टिहरी	11/01/1996	9.586	रा०इ०का० केमट्टी	जौनपुर	टिहरी
67	श्री हरीश बलूनी सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० सकोन	हुण्डा	उत्तरकाशी	18/11/1996	2.766	रा०उ०मा०वि० उत्तरी	मटवाडी	उत्तरकाशी
68	श्री सजीव कुमार डांगाल सं०३३०	रा०उ०प्रा०वि० मैनाल	हुण्डा	उत्तरकाशी	19/11/1996	15.36	रा०उ०मा०वि० भाकडा	हुण्डा	उत्तरकाशी
69	श्री सजयपाल सिंह विष्ट (सं०३३०)	रा०उ०प्रा०वि० जन्दीली	कीर्तिनगर	टिहरी	17/12/1996	26.174	रा०इ०का० कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	टिहरी